



भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पोत परिवहन मंत्रालय / MINISTRY OF SHIPPING

नौवहन महानिदेशालय, मुंबई
DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING, MUMBAI

दिनांक: 01/08/2019

फाइल संख्या- सीआर-18/विविध/(22)/2019

क्र. अनुभाग परिपत्र संख्या. 05/2019

विषय:- यूएसए के बंदरगाहों में यात्री पोतों पर भारतीय समुद्रकर्मियों द्वारा पोतों को कुदाना।

नौवहन महानिदेशालय को रिक्रूटमेंट एवं प्लेसमेंट सर्विसेस लाइसेन्स कंपनियों द्वारा कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि खासकर यूएसए के पत्तनों में यात्रिपोतों पर कार्यरत भारतीय समुद्रकर्मियों जानबूझकर पोतों को कुदाते हैं। यह आपराधिक कार्य है एवं कुछ समुद्रकर्मियों के ऐसे विवेकहीन आचरण के कारण यात्रि पोतों पर भारतीय समुद्रकर्मियों को काम मिलने की संभावनाओं पर विपरीत रूप से प्रभाव पड़ रहा है।


2. इस नौवहन महानिदेशालय द्वारा विचार किया गया है एवं यह निर्णय लिया गया है कि नियोक्ता या स्वीकृत रिक्रूटमेंट एवं प्लेसमेंट सर्विसेज की ओर से भारतीय समुद्रकर्मियों द्वारा पोतों को कुदाने के संबंध में औपचारिक शिकायत प्राप्त होने के बाद समुद्रकर्मियों के विरुद्ध निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी:

- I) नौवहन महानिदेशालय की ई-गवर्नेंस प्रणाली में समुद्रकर्मियों को दिए गए विशेषाधिकार रोक दिए जाएंगे एवं समुद्रकर्मियों को माईग्रेंट प्रणाली को प्रयोग में लाने से रोका जाएगा।
- II) समुद्रकर्मियों के सीडीसी को रद्द करने के लिए आवश्यक कार्रवाई हेतु शिपिंग मास्टर्स को सूचित किया जाएगा एवं उन्हें सूचना मिलने के बाद 24 घंटों के भीतर सीडीसी रद्द कर दी जाएगी।
- III) ये मामले संबंधित समुद्रकर्मियों का पासपोर्ट निरस्त किए जाने के लिए निदेशालय को सूचित करते हुए विदेश मंत्रालय को संबंधित पासपोर्ट कार्यालय द्वारा भेजे जाएंगे।

3. आरपीएस के पास ऐसे जो मामले हों वे आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नोक्त आरूप में समुद्रकर्मियों के विवरणों सहित इस निदेशालय को सूचित करें।

| आरपीएसएल कंपनी का नाम एवं संख्या | समुद्रकर्मियों का नाम | इन्डोज़ संख्या | सीडीसी संख्या | पासपोर्ट संख्या | कार्य लगने का तारीख | पर का छोड़ने का तारीख |
|---|--------------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | |

4. इसे नौवहन महानिदेशक, भारत सरकार अनुमोदन से जारी किया जाता है


(सुभाष बरगूजर)
उप नौवहन महानिदेशक

बीटा बिल्डिंग, 9वीं मंजिल, आई थिंक टेक्नो कैम्पस, कांजूर गाँव रोड, कांजूरमार्ग (पूर्व) मुंबई-400042

9th Floor, BETA Building, I-Think Techno Campus, Kanjur Village Road, Kanjurmarg (E), Mumbai-400042

फोन/Tel No.: +91-22-2575 2040/1/2/3 फैक्स/Fax.: +91-22-2575 2029/35 ई-मेल/Email: dgship-dgs@nic.in वेबसाइट/Website: www.dgshipping.gov.in



भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पोत परिवहन मंत्रालय / MINISTRY OF SHIPPING

नौवहन महानिदेशालय, मुंबई
DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING, MUMBAI

F. No. CR-18/MISC(22)/2019

Dated 01.08.2019.

Crew Branch Circular No. 05 of 2019

Subject: Jumping of ships by Indian Seafarers on Cruise Ships in ports in USA.

The Directorate General of Shipping has received several complaints from Recruitment & Placement Services License companies intimating that some Indian seafarers working on cruise ships are intentionally jumping ships, particularly in ports of USA. This is a criminal act and due to this unscrupulous behavior of a small number of seafarers the job prospects for Indian seafarers on cruise ships are being adversely affected.


2. The matter has been considered by the Directorate General of Shipping and it has been decided that upon receipt of a formal complaint from the employer or the approved Recruitment and Placement Services about jumping of ships by Indian Seafarers (accompanied with a formal complaint filed with the local police authorities) following action against the seafarer will be initiated;

- i. The privileges given to the seafarers in the e-governance system of the Directorate General of Shipping will be blocked and the seafarer will not be allowed to use the e-migrant system ;
- ii. The Shipping Masters will be informed to take necessary action for cancelling the seafarers CDCs and the CDC will be cancelled within 24 hours of the receipt of communication by them; and
- iii. Such cases will be referred to the Ministry of External Affairs for cancellation of the seafarer's Passport by the concerned passport office, under an intimation to the Directorate.

3. The RPS having such cases are required to intimate this Directorate with details of such seafarers in the following format for further necessary action accordingly:-

| Name of the RPSL company & No. | Name of the seafarer | INDOS No. | CDC No. | Passport No. | Date of Engagement | Date of desertion |
|--------------------------------|----------------------|-----------|---------|--------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | | |

4. This issues with the approval of the Director General of Shipping, Government of India.


(Subhash Barguzar)
Deputy Director General of Shipping